वित्तीय स्वीकृति

संख्य -35/1502/52-3-14-बजट(16)/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण,

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 14 अगस्त, 2014

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक मा0□0वि0 मंत्रालय, □□□ □□□□, नई दिल्ली के पत्र संख्य -□□-8-26/2013-□□-19, दिनांक 3.2.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1891 मदरसों की लाट के सापेक्ष 1813 मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वर्ष 2013-14 □□ □□□□ □□ □□□□ के लिये द्वितीय किश्त के रूप में रू0 9,07,20,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- चालू वित्तीय व 2014-15 में उक्त योजनान्तर्गत 0 02,00,00,00,000/- (रूपये दो अरब म) □ □-व्ययक प्राविधान है। इसके जिसके सापेक्ष अभी त 0 8,75,92,000/-की धनराशि

□वमुक्त की गयी है तथा ः 0 1,91,24,08,000/-की धनराशि अवशेष है। उक्त अवशेष धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 3.2.2013 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 9,07,20,000/- (रू0 □□ करोड़ सात लाख बीस हजार मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैंः-

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित या वेतनध्मानदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 31.3.2015 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय□□कि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से मानदेयध्वेतन मद में दोहरा भुगतान न होने पाये एवं पारदर्शिता बनी रहे।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्ययध्उपयोग इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा.निर्देशों एवं समय.□□□ □□ □□□ सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया□□□□

(3) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों ;हिन्दीए अंग्रेजीए गणितए सामान्य अध्ययनद्ध के शिक्षण कार्य करने वा□□ शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा कि लाभान्वित मदरसा भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तोध् प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित भुगतान किया जाता हैए तो इसके लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक

अधिकारीध्आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतयः उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

(4) निदेशक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा.निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित न होए वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जो वास्तव में उपस्थित □□ □□ मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण .□□□ □ अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को त किया जायेगाए ज धनराशि व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) योजतनान्तजर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को प्रश्नरगत अवधि के मानदेय के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित क लिया जायेगा कि पूर्व में इस अवधि के मानदेय □ □□□□ संबंधित शिक्षक को नही किया गया है

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल योजनान्तर्गत कार्यर शिक्षकों के मानदेय का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में यह धनराशि किसी अन्य प्रयोजनार्थ व्यय नहीं की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □ □-व्ययक के अनुदान संख्य -48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (□□0100/□□0-□□0)-20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□□ □□□□□

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख -□□-2457/□□-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

□□□□

<u>संख्य□-1502 (1)/52-3-14-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथ□/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी,
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 □□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा□ -1

आज्ञा से,

(vkj0,u0 f}osnh)

□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in